


नाम न्यायालय
केस संख्या T-365/08

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
26/11/19		पत्रावली पेश हुई। वृत्तान्त फरीकिया उप पत्रावली वाले बख्त गिरी बागानी पेश की दिनांक 10/11/19 को पेश की। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय
10/12/19		पत्रावली पेश हुई। वृत्तान्त फरीकिया उप बख्त गिरी बागानी पेश की। आदेश दिनांक 12/12/19 को पेश की। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय
17/12/19		पत्रावली वाले बख्त गिरी पेश हुई। वृत्तान्त फरीकिया उप। वकील उज्जयिनी प्राप्ति पर बख्त गिरी बागानी वकील उज्जयिनी ने अन्वय निषेधाज्ञा को कलक्टर को देकर निवेदन किया। प्राप्ति का मत इतना है अब बख्त गिरी बागानी पत्रावली में अन्वय निषेधाज्ञा पूर्व में जारी की हुई है, उज्जयिनी स्वयं ही अन्वय निषेधाज्ञा प्राप्त करके दे तदनुसार ही अन्वय निषेधाज्ञा निषेधाज्ञा को कलक्टर को देकर निवेदन किया। प्राप्ति निषेधाज्ञा को तालिमता इतना ही किया जाना उचित समझते हैं। अतः आधी का प्राप्ति स्वीकार किया जाए। अन्वय अन्वय निषेधाज्ञा की कलक्टर को देकर निवेदन किया। प्राप्ति को अन्वय निषेधाज्ञा के पक्षी

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

फर्द अहकाम

य Ac-11 किराती बनाम कुचडिय
 नं- 365/08

नांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>किराता जाता है कि खजुराना 468, 469/601, 450 कुल मिला 3 कुला रकबा 10.13 है 00 अूमि वाने ग्राम हंरुव्यापुरा तह 00 कोगाने को मोके लने रकोड की पचात्नाति कराये रये। पचावती सैनक सुवप होकर इफ़ी नेकले कम होकर सेलग्न भूलपाए रहे। निर्णय काज 15 नोक 1/12/19 को लिखापा जाकर नते इजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय </p>	

